पत्रांक–6/योजना–01–07/2011गृ0आ0........................

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक सितम्बर, 2016

विषय :– **दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर थाना भवन के निर्माण हेतु भू–अर्जन के लिए ₹ 47,60,000 (सैतालिस लाख साठ हजार रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 47,60,000 (सैतालिस लाख साठ हजार रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का पत्रांक–935/आधु0, दिनांक 30.08.2016 के प्रसंग में कहना है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर थाना भवन के भू–अर्जन हेतु समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा समर्पित बिहार रैयती भूमि सतत लीज नीति–2014 के कंडिका–3 के अनुसार अर्जनाधीन भूमि मौजा–अलीनगर थाना नं0–244, खाता सं0–78, 827, 782, 848, 323 एवं 683, खेसरा नं0–418, 421, 422, 447, 5404 एवं 5525 रकवा–1.00 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु प्राक्कलन की गणना तालिका के आधार पर प्राक्कलित राशि कुल ₹ 47,60,000 (सैतालिस लाख साठ हजार रू0) मात्र की नई योजना की प्राशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 47,60,000 (सैतालिस लाख साठ हजार रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 47,60,000 (सैतालिस लाख साठ हजार रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत मांग सं0–22 के बजट शीर्ष "4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–050–भूमि–0101–थाना/चौकी के भू–अर्जन हेतु" विषय शीर्ष–53–02–भू– अर्जन, विपत्र कोड P4055000500101 एवं राज्य योजना स्कीम कोड HOM–5419 अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, दरभंगा होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से की जायेगी।

4. वित्त विभाग का ज्ञापांक–3687, दिनांक 30.03.2012 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुसार राशि व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0 खाता) में जमा की जायेगी।

5. पंचाटित राशि का मुआवजा भुगतान संबंधित रैयतों को नियमानुसार शीघ्र करना सुनिश्चित किया जाय।

6. राशि की निकासी, बिहार कोषागार संहिता–2011 का विहित निवत्र पर की जायेगी।

7. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

9. उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथा शीघ्र समर्पित किया जायेगा।

10. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

11. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की समहति संचिका सं0–6/यो0–01–07/2011गृ0आ0 के पृ0–103/टि0 पर दिनांक 12.09.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/योजना–01–07/2011गृ0आ0.........7612.........पटना, दिनांक 22 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा 22/09/16

सरकार के अवर सचिव